बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांकः- 379006 पटना, दिनांकः- 13/07/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(कार्य0वि0)-102-54/2018

प्रेषक,

दीपक कुमार,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत नियोजित ग्रामीण आवास सहायकों को उनसे संबंधित योजना के अतिरिक्त अन्य कार्य से मुक्त रखने के संबंध में ।**

महाशय,

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पंचायत स्तर पर सुदृढ़ीकरण, अनुश्रवण एवं समय पर उन्हें पूर्ण कराने हेतु ग्रामीण आवास सहायक का नियोजन किया गया है । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 2022 तक राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर आवास की आवश्यकता वाले कुल 35 लाख आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध इसी वर्ष (दिसम्बर 2018 तक) 2016-17 एवं 2017-18 के लक्ष्य के कुल 11.76 लाख आवासों को पूर्ण किया जाना है । मार्च 2019 तक इसके अतिरिक्त 4.50 लाख आवास भी पूर्ण करने का लक्ष्य संभावित है ।

योजनान्तर्गत नियोजित ग्रामीण आवास सहायकों को अन्य कार्यों में शामिल कर लिये जाने से योजना के लक्ष्य को समय पर पूर्ण करने में कठिनाई होने की संभवना है । इस लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को मिशन मोड में पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है । इसके लिए ग्रामीण आवास सहायकों की उनके संबद्ध योजना के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता आवश्यक है । इन कर्मियों के कार्य मूल्यांकन का आधार भी उनसे संबद्ध योजना की प्रगति एवं उपलब्धि ही है ।

अतः ग्रामीण आवास सहायकों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/इंदिरा आवास योजना के अतिरिक्त अन्य कार्यों एवं योजनाओं से पूर्णतया मुक्त रखा जाय । इस संबंध में किसी अन्य विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों को उस हद तक संशोधित माना जाय ।

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक 379006 पटना, दिनांक 13/07/18

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव, बिहार

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2236 A.doc